जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 17.08.2024**

थाना कांधला पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.06.2024 को वादी रिजवान पुत्र इसराईल निवासी गढी दौलत थाना कांधला जनपद शामली के द्वारा अपनी बहन के पति पर जानलेवा हमला कर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा वादी के बहनोई पर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जरीफ पुत्र रियासत निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 177/24 धारा 307/352/452/506 भादवि थाना कांधला शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए गेंहू व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 550 रुपये नकद व चोरी की गई 01 मोटर साइकिल बरामदः-

आज दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चोरी में 01 चोर को चोरी किये हुए गेंहू व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 550 रुपये नकद व चोरी की गई एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 26.06.2024 को वादी श्री अश्वनी कुमार (इंचार्ज प्रधानाध्यापक) ने अज्ञात चोरों के विरुद्व उच्च प्राथमिक विधालय ग्राम ढिंढाली की रसोई से गेहू व चावल की चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोनू उर्फ भोना पुत्र सतेन्द्र निवासी मौहल्ला जयसिह कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनू उर्फ भोना उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 88/2023 धारा 379/411 भादवि (मो0सा0 चोरी) थाना मुनी की रेती जनपद देहरादून उत्तराखण्ड ।

2.मु0अ0सं0 435/2024 धारा 303 BNS (मो0सा0चोरी) थाना कोतवाली जनपद ऋषिकेश उत्तराखण्ड।

3.मु0अ0सं0 261/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 328/2024 धारा 317(2)/336(2) BNS थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये हुए गेंहू व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 550 रुपये नकद बरामद।

2.चोरी की 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट (मु0अ0सं0 435/2024 धारा 303 BNS थाना कोतवाली जनपद ऋषिकेश उत्तराखण्ड से सम्बन्धित है।)

रिपोर्टिंग पुलिस चौकी
ऊन थाना झिंझाना
जनपद-शामली

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत किये गये पथराव व घातक हथियार से फायरिंग करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार -</u>

आज दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत किये गये पथराव व घातक हथियार से फायरिंग करने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.08.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षो में घातक हथियार से हुई फायरिंग व ईट-पत्थर से मारपीट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कोतवाली शामली पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.नवाब पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सद्दाम पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल के मामले में 01 बाल अपचारी हिरासत में लिया गया, कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर बरामदः-

दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के मामले 01 बालअपचारी को अवैध 01 तमंचा 315 बोर सहित हिरासत में लिया गया। उपरोक्त बाल अपचारी व उसे हुई बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक युवक अवैध तमंचा के साथ दिखाई दे रहा था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा वीडियो की जांच कर वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु थाना झिंझाना पुलिस को निर्देशित किया गया था।

बरामदगी का विवरणः-

1-अवैध 01 तमंचा 315 बोर।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 11.08.2024 को थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उधम पुत्र रामवीर निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मनोज पुत्र सोहन निवासी कस्बा व थाना बाबरी जनपद शामली।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2017 में अभियुक्त मेहरवान पुत्र वाकिब निवासी ग्राम बराला थाना कैराना के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 491/17 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2023 में अभियुक्त सरफराज पुत्र नहीम कुरैशी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 163/2023 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मेहरवान पुत्र वाकिब निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली।

2.सरफराज पुत्र नहीम कुरैशी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI